दिनाँक	न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर सुरेन्द्र कुमार बनाम किशना उर्फ किशनलाल वगैरह दीवानी वाद संख्या 59/2018 सीआईएस संख्या 213/18	अनुपालना टिप्पणी
09–05–2024	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 किशना उर्फ किशनलाल की मृत्यु की सूचना दिनांक 27–07–2023 को प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष देने पर उक्त प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा उसी दिन दिनांक 27–07–2023 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि अन्दर मियाद प्रस्तुत होना दृष्टिगत होता है। प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक प्रतिनिधि में रणजीत पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में संयोजित है। अतः प्रतिवादी संख्या 1/1 के रूप में कैलाश, 1/2 के रूप में सोहनलाल तथा 1/3 के रूप में प्रियांशु पुत्र रणजीत को प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम के सम्मुख मृतक शब्द अंकित किया जावे। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वाद शीर्षक हेतु दिनांक 29–05–2024 को पेश हो। (अमर वर्मा) अपर जिला न्यायाधीश संख्या–3 , अजमेर	